न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 32 / 2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण

1. मोहनराम पुत्र दुर्गाराम वयस्क
2. अचलाराम पुत्र दुर्गाराम वयस्क
3. देवीदेवी पत्नि दुर्गाराम वयस्क
4. चेतन पुत्र खेराज वयस्क
5. रावताराम पुत्र कुम्बाराम वयस्क

जातियान जाट निवासी एड
सिणधरी जिला बालोतरा

1. खेमाराम पुत्र मोतीराम वयस्क
2. भैराराम पुत्र राजूराम वयस्क
3. मगाराम पुत्र रतनाराम वयस्क
4. जीयोदेवी पत्नि भीयाराम वयस्क
5. रावताराम पुत्र भीयाराम वयस्क
6. खुमाराम पुत्र किरताराम वयस्क
7. मोतीराम पुत्र किरताराम वयस्क
8. जसाराम पुत्र नारणाराम वयस्क
9. सुगणीदेवी पत्नि नारणाराम वयस्क
10. उदाराम पुत्र जालाराम वयस्क
11. खेमाराम पुत्र विशनाराम वयस्क
12. चेतनराम पुत्र विशनाराम वयस्क
13. सोनाराम पुत्र विशनाराम वयस्क
14. भानाराम पुत्र नरींगाराम वयस्क
15. कंवराराम पुत्र मुकनाराम वयस्क
16. गैरोंदेवी पत्नि चेनाराम वयस्क
17. पूराराम पुत्र चेनाराम वयस्क
18. डालूराम पुत्र कंवराराम वयस्क
19. दुर्गाराम पुत्र कंवराराम वयस्क
20. रामूदेवी पत्नि कंवराराम वयस्क
21. प्रभूराम पुत्र गजाराम वयस्क
22. रमेशकुमार पुत्र गजाराम वयस्क
23. लिखमाराम पुत्र गजाराम वयस्क
24. बाबूदेवी पत्नि गजाराम वयस्क
25. गेनाराम पुत्र पेमाराम वयस्क
26. गोदूराम पुत्र पेमाराम वयस्क
27. देवाराम पुत्र पेमाराम वयस्क
28. रावताराम पुत्र पेमाराम वयस्क
29. [illegible] पुत्र मुकनाराम वयस्क
30. [illegible]आवेश पुत्र पनाराम वयस्क
31. महिपाल पुत्र पनाराम वयस्क
32. [illegible] पत्नि पनाराम वयस्क
33. मूलाराम पुत्र वगताराम वयस्क
34. सताराम पुत्र वगताराम वयस्क

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

35. शम्भूराम पुत्र बगताराम वयस्क
36. बगता पुत्र नरींगा (फौत के कायम मुकाम विप्रार्थीगण 33 से 35) जातियान जाट निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
37. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री भंवरलाल सारण उप.

3. विप्रार्थी संख्या 37 के पेरोकार उपस्थित तथा शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक 13.06.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी मौजा एड सिणधरी में खसरा संख्या 163, 164, 275/162 रकबा क्रमश 0.0324, 20.6538, 8.0900 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी मौजा एड सिणधरी में खसरा संख्या 163, 164, 275/162 रकबा क्रमश 0.0324, 20.6538, 8.0900 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:05 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1 व 2 की तरफ

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

से वकील श्री भंवरलाल सारण द्वारा वकालतनामा पेश किया, परन्तु उनकी ओर से जवाब हेतु पर्यापत अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके जवाब का अवसर समाप्त किया गया। शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी मौजा एड सिणधरी में खसरा संख्या 163, 164, 275/162 रकबा क्रमश 0.0324, 20.6538, 8.0900 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी मौजा एड सिणधरी में खसरा संख्या 163, 164, 275/162 रकबा क्रमश 0.0324, 20.6538, 8.0900 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी मौजा एड सिणधरी में खसरा संख्या 163, 164, 275/162 रकबा क्रमश 0.0324, 20.6538, 8. 0900 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी मौजा एड सिणधरी मे खसरा संख्या [illegible] 275/162 रकबा क्रमश 0.0324, 20.6538, 8.0900 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्की नेख[illegible]पित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 13.06.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:26:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner